

# केन्द्रीय रेशम बोर्ड

(वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार)

के रे बो काम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट,

मडिवाला, बेंगलूरु - 560 068



# CENTRAL SILK BOARD

(Ministry of Textiles - Govt. Of India)

CSB Complex, BTM Layout

Madivala, Bengaluru - 560 068

No.CSB-29/GPF/2015-16/BS/CASH

Date: 7<sup>th</sup> March 2018

To:

All the Delegated Units

By email  
By Speed post

Sir/Madam,

Sub: Remittance / Refund of outstanding GPF loan amount – regarding

With reference to the subject cited above, it is to inform that some of the Units are refunding the outstanding GPF loan/advance amount pertaining to their controlling Officers/Staff during the end of March. The GPF annual interest calculation work will be carried out during the month of March every year, as such it becomes difficult to calculate interest if the outstanding loan/advance amount is refunded during the middle of the March 2018. Therefore, it is requested not to refund any outstanding GPF loan/advance from 19.03.2018 to 31.03.2018 in any case, which is for strict compliance of the above instruction, if any GPF Loan/advance amount is received during the above period the same will not be entertained at any cost, which may please be noted.

Yours faithfully

  
[CA MANOHARAN A]  
JOINT DIRECTOR [FINANCE]





## केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)

केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला

CSB Complex, BTM Layout, Madiwala,

बैंगलूरु Bengaluru-560 068

केरेबो-29/साभनि/2015-16/बिल अनु/नकद

दिनांक : 07.03.2018

सेवा में

राशी प्रत्यायोजित इकाइयां


विषय- सा भ नि ऋण की बकायी राशि भेजने के संबंध में ।

\*\*\*\*\*

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, सूचित करना है कि कुछ इकाइयां इनके निंत्रणाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित साभनि ऋण की बकायी राशि को मार्च के अंत में भेज रहे हैं । सा भ नि के वार्षिक व्याज परिकलन कार्य प्रति वर्ष मार्च माह के दौरान किया जाता है, जैसा कि मार्च, 2018 के बीच में ऋण की बकायी राशि भेजने पर व्याज का परिकलन करने का कार्य कठिन हो जाएगा । अतः, अनुरोध है कि दिनांक 19.03.2018 से 31.03.2018 तक कोई भी सा भ नि ऋण की बकायी राशि को किसी भी हालत में नहीं भेजा जाए, जो उक्त अनुदेश का सख्त अनुपालनार्थ है । यदि कोई भी सा भ नि ऋण की बकायी राशि को उपर्युक्त समय के दौरान प्राप्त किए तो, इसे किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं किया जाएगा । जिसे कृपया नोट करें ।

भवदीय,



[सी.ए. मनोहरन ए.]

संयुक्त निदेशक (वित्त)